न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी, बसिया (गुमला)।

नीलाम पत्र वाद सं0 56/2020–21

क्रं0 सं0	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षरी	टिप्पणी
अभिलेख उपस्थापित 1 22/11/22	अधियाची पदाधिकारी, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया **ममरला** शाखा के लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई हैं जिसमें **श्री आदित्य देवघरिया, पति हिरालला देवघरिया, ग्राम बड़ा पोकटा, थाना बसिया** जिला गुमला के विरूद्ध देनदार दिखाते हुए **मो0 86182:24** रूपये बकाय दर्शाया गया है। अभिलेख उपस्थापित। देनदार को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्गत नोटिस के आलोक में देनदार **आदित्य देवघरिया, पति हिरालला देवघरिया, ग्राम बड़ा पोकटा,** जिला गुमला अपने अधिवक्ता एवं स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। देनदार के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया **ममरला** से प्राप्त ऋण को संबंधित शाखा में जमा कर दिया गया है। शाखा बैंक ऑफ इंडिया **ममरला** के द्वारा उक्त देनदार के ऋण खाता को बंद करने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त है। अतः बैंक ऑफ इंडिया **ममरला** से निर्गत पत्र के आलोक में उक्त नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई देनदार के विरूद्ध समाप्त की जाती है। लेखापित। कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी बसिया (गुमला) अनुमण्डल पदाधिकारी –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.09.11 13:45:06 +05:30
Location: 192.168.1.4